संख्या-110/2024/1667/26-3-2024-1737336

प्रेषक,

रजनी कान्त पाण्डेय,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन

सेवामें,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0, लखनऊ

समाज कल्याण अनुभाग-3 **लखनऊः दिनांकः 27 अगस्त, 2024**

विषयः- चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनजातीय बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास/जिला इकाईयों के संचालन व अन्य कार्यों हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वचनबद्ध देयता के रूप में अवमुक्त धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-48/ज0जा0वि0/275(1)/2023-24, दिनांक-30-05-2024 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनजातीय बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास/जिला इकाईयों के संचालन व अन्य कार्यों हेतु संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत भारत सरकार द्वारा वचनबद्ध देयता के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 256.49 लाख में से 05 प्रतिशत धनराशि रोकते हुए निम्नानुसार धनराशि रू0 243.67 लाख की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति निर्गत किये जाने का अनुरोध किया गया है:-

क्र0 सं0	प्रस्ताव/कार्य का नाम	निर्माण स्थल के ग्राम एवं ब्लाक जनपद का नाम	आगणित धनराशि (लाख में)	भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021-22 में अवमुक्त	शासन द्वारा अवमुक्त धनराशि	वचनबद्ध देयता के रूप में भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि	वचनबद्ध देयता के रूप में स्वीकृति हेतु प्रस्तावित धनराशि	05% रोकी गयी धनराशि
1	जनजाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु इण्टर लाकिंग रोड, एवं नाली निर्माण व सोलर लाईट की स्थापना	ग्राम-बजही, ब्लाक-पलिया लखीमपुर खीरी	344.91	212.71	212.71	132.20	125.59	6.61
2	जनजाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु इण्टर लाकिंग रोड, एवं नाली	ग्राम-बनकटी, ब्लाक-सिरसिया श्रावस्ती	296.67	240.00	240.00	56.67	53.84	2.83

	निर्माण व सोलर लाईट की स्थापना							
3	जनजाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु इण्टर लॉकिंग रोड, एवं नाली निर्माण व सोलर लाईट की स्थापना	ग्राम-सहोनी, ब्लाक-मिहीपुरवा बहराईच	285.67	240.00	240.00	45.67	43.39	2.28
4	जनजाति बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास हेतु इण्टर लॉकिंग रोड व सोलर लाईट की स्थापना	ग्राम-सेमरहवा बलरामपुर	161.95	140.00	140.00	21.95	20.85	1.10
		योग:-	1089.20	832.71	832.71	256.49	243.67	12.82

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने निदेश हुआ है कि चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 में जनजातीय बाहुल्य ग्रामों के सर्वांगीण विकास/जिला इकाईयों के संचालन व अन्य कार्यों हेतु अनुदान संख्या-81 के लेखाशीर्षक-4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना 01-केन्द्र प्रायोजित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1)के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न निर्माण कार्य तथा जिला इकाईयों के निर्माण हेतु अनुदान (के0-100 प्रतिशत/राज्यांश-0)-24-वृहद निर्माण मद के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0 4000.00 लाख के सापेक्ष भारत सरकार द्वारा वचनबद्ध देयता के रूप में अवमुक्त धनराशि रू0 256.49 लाख में से 05 प्रतिशत की धनराशि रोकते हुए धनराशि रू0-243.67 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति श्री राज्यपाल निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) अवमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024 दिनांक 04.03.2024 एवं कार्यालय ज्ञाप संख्या- 4/2024/बी-1-607/दस-2024-231/2024 दिनांक-19.06.2024 में निहित शर्तों एवं प्राविधानों के अन्तर्गत ही सुनिश्चित किया जायेगा तथा स्वीकृत धनराशि जिस कार्य/मद हेतु प्रदान की जा रही है उसका उपयोग नियमानुसार उसी कार्यमद हेतु किया जायेगा, अर्थात् स्वीकृत धनराशि का व्यय किसी अन्य प्रयोजन हेतु कदापि नहीं किया जायेगा। उक्त कार्यों को अनुमोदित लागत की सीमान्तर्गत ही कराया जायेगा तथा कार्यदायी संस्था को अनुमोदित लागत के अतिरिक्त कोई अन्य धनराशि/चार्जेज नही दिया जायेगा। कार्य पूर्ण होने पर कार्यदायी संस्था से कार्य के सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त कर लिये जायेंगे।

(2) प्रायोजना के कार्य में वस्तु एवं सेवाकर (जी0एस0टी0) की धनराशि कार्यदायी संस्था को वास्तविक भुगतान के अनुसार नियमानुसार अनुमन्य होगी तथा इस सम्बन्ध में कार्यदायी संस्था द्वारा जी0एस0टी0 भुगतान के सम्बन्ध में तिथिवार विवरण एवं प्रामाणिक प्रपत्र

जी0एस0टी0 इन्वायस सक्षम स्तर से निदेशक, जनजाति विकास के माध्यम से शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उक्त के अतिरिक्त लेबरसेस के रूप में प्रदान की गयी धनराशि श्रम विभाग को भुगतान किये जाने का प्रमाण पत्र कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ उपलब्ध कराया जायेगा ।

(3) यह अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जायेगा कि कार्यों की गुणवत्ता उच्चकोटि की हो तथा समय-समय पर कार्यदायी संस्था द्वारा कराये जा रहे निर्माण कार्यों का पर्यवेक्षण (मानीटरिंग) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा सुनिश्चित कराया जाय। स्वीकृत धनराशि कोषागार से आहरित कर आहरण के बाउचर संख्या एवं तिथि की सूचना शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्वीकृत की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार तथा वित्त विभाग के सुसंगत नियमों के अनुसार किया जायेगा। वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04.03.2024 में दी गयी व्यवस्थानुसार प्रश्नगत कार्य हेतु अवमुक्त की जा रही धनराशि के सापेक्ष आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा दो-दो माह की आवश्यकता के लिए आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरण कर कार्यदायी संस्था को उपलब्ध करायी जायेगी तथा कार्यदायी संस्था द्वारा प्राप्त धनराशि का 75 प्रतिशत उपयोग करने के उपरान्त अगले 06 माह के लिए पुनः आवश्यक धनराशि कोषागार से आहरित कर दी जायेगी। इसका अनुपालन निदेशक, जनजाति विकास द्वारा सुनिश्चित कराया जायेगा।

(5) प्रश्नगत परियोजना में होने वाले निर्माण कार्य के सम्बन्ध में यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि निर्माण कार्य आगणन के अनुरूप उसके तकनीकी अनुमोदन के अनुसार किया किया गया है तथा परियोजना को कार्यदायी संस्था से हस्तगत कराने से पूर्व समस्त औपचारिकताओं को पूर्ण करा लिया जायेगा एवं निर्मित परिसम्पत्ति का समुचित रख-रखाव सुनिश्चित किया जायेगा एवं इसकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट ई-परियोजनाओं की समीक्षा के पोर्टल पर अंकित कराते हुए शासन को अवगत कराया जायेगा।

(6) परियोजना में टाइम ओवर-रन/कास्ट ओवर-रन को नियन्त्रित करने के सम्बन्ध में वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या-07/2017/बी-1-823/दस-2017-एम-04/2017 दिनांक 21 जून, 2017 में दिये गये निर्देशों तथा बजट मैनुअल के प्रस्तर-212 (vii) में दिये गये निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

(7) परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी। स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र भी निर्धारित प्रपत्र पर सक्षम स्तर से शासन एवं महालेखाकार, प्रयागराज को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराया जाना सुनिश्चित किया जायेगा। सोशल आडिट से सम्बन्धित व्यवस्था/नियमों का भी पूर्णतया अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा। परियोजना में कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों की जिम्मेदारी कार्यदायी संस्था की होगी।

(8) यह सुनिश्चित किया जायेगा कि उपरोक्तांकित स्वीकृत योजनान्तर्गत कार्यों हेतु किसी अन्य स्रोतों से धनराशि प्राप्त न की गयी हो। यह भी सुनिश्चित किया जायेगा कि इस योजना की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में द्विरावृत्ति/पुनरावृत्ति न हो और इसके रख-रखाव हेतु राज्य सरकार के ऊपर व्यय-भार न पड़े। कार्यदायी संस्था से कार्य की समाप्ति के पश्चात सम्प्रेक्षित लेखे अनिवार्य रूप से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जाय।

(9) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्कतानुसार तथा नियमानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को बैंक खाते आदि में नही रखा जायेगा। कार्यदायी संस्था द्वारा शासकीय धन पर यदि ब्याज अर्जित किया गया है तो उसे अनिवार्य रूप से राजकोष में जमा कराना सुनिश्चित किया जाय। यह भी अनिवार्य रूप से सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि आगणन में बाट आउट एवं प्रोप्राइटरी श्रेणी के कार्यों पर सेन्टेज का भुगतान अनुमन्य न किया जाय।

इसका अनुपालन निदेशालय, जनजाति विकास एवं कार्यदायी संस्था द्वारा सुनिश्चित किया जायेगा।

(10) प्रायोजना की अवशेष धनराशि की वित्तीय स्वीकृति कार्यदायी संस्था/निदेशक जनजाति विकास द्वारा प्रेषित मांग एवं अभिलेखों के आधार पर अवमुक्त की गई है। अतः यदि परियोजना के मानक एवं अन्य बिन्दुओं के सम्बन्ध में कोई सूचना भविष्य में गलत पायी जाती है तो इसका पूर्ण उत्तदायित्व कार्यदायी संस्था/निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0, लखनऊ का होगा। प्रश्नगत परियोजना हेतु अवमुक्त धनराशि के सापेक्ष वास्तविक रूप से व्यय की गयी धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र/कार्य की गुणवत्ता एवं फोटोग्राफ्स आदि सक्षम स्तर से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(11) निदेशक, जनजाति विकास द्वारा कार्य पूर्ण होने के उपरान्त् कार्यदायी संस्था से सम्प्रेक्षित लेखे अवश्य प्राप्त किये जायेंगे एवं अवशेष 05 प्रतिशत की धनराशि की मांग प्रस्तुत करते समय परियोजना की टेण्डर लागत, गुणवत्ता प्रमाण पत्र, संविदा से सम्बन्धित मूल (MOU), तकनीकी स्वीकृति आदि अभिलेख कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर शासन को उपलब्ध कराये जायेंगे।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय रूपये-2,43,67,000 (रूपये दो करोड़ तैतालीस लाख सड़सठ हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-2025 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या0-81 लेखाशीर्षक 4225-02-796-0104- संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्तर्गत जनजातियों के कल्याण हेतु विभिन्न निर्माण कार्य तथा जिला इकाइयों के निर्माण हेतु अनुदान (के.100/रा.0) के मानक मद 24-वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश कंप्यूटर द्वारा उत्पन्न यू0ओ0 संख्या- E-4-31-X-2024-25, दिनांक 01-08-2024 में प्राप्त वित्त विभाग की सहमति से निर्गत किये जा रहे है।

Signed by
Rajani Kant Pandey
Date: 27-08-2024 16:36:40

भवदीय,

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव

पृ0 संख्य एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी)प्रथम एवं द्वितीय उ0प्र0, प्रयागराज।
2- महालेखाकार,(लेखा परीक्षा)प्रथम एंव द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3- निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 प्रयागराज।
4- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उ0प्र0 लखनऊ।
5- जिलाधिकारी, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराईच एवं बलरामपुर।
6- जिला समाज कल्याण अधिकारी, लखीमपुर खीरी, श्रावस्ती, बहराईच एवं बलरामपुर।
7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
8- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
9- प्रबंध निदेशक, यू0पी0 सिडको, लखनऊ।
10- निदेशक, एन0आई0सी0।
11- गार्डफाइल

(रजनी कान्त पाण्डेय)
उप सचिव